Result Mitra Daily Current Affairs

Topic-1

क्या खनिज के ऊपर लगने वाली रॉयल्टी टैक्स के अंतर्गत आता है

- चर्चा में क्यों :– हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा की खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी
- टैक्स के अंतर्गत नहीं आती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय उन 86 याचिकाओं की सुनवाई के तहत लिया है जिनको राज्य सरकारों तथा अलग-अलग खनन कंपनियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया था।
- यह याचिकाएं केंद्र सरकार के द्वारा खनिजों पर वसूल किए जाने वाले टैक्स के लिए लगाई गई थी कि क्या खनिजों के ऊपर वसूल की गई रॉयल्टी टैक्स के बारे में आती है।
- इन याजकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच कर रही है
- चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जाएगा।
- मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में नौ जजों की बेंच में से 8–1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया गया है जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे पूर्व के फैसलों को भी खारिज कर दिया है
- मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संसद के पास संविधान की सूची II की प्रविष्टि 50 के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है।

- संविधान की सूची II की प्रविष्टि 50 :– खनिज विकास से संबंधित संसद द्वारा कानून द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के अधीन खनिज अधिकारों पर कर।
- प्रविष्टि 50 खनिज अधिकारों पर करों से संबंधित है, जो खनिज विकास के संबंध में संसद की तरफ से लगाई गई सीमाओं के अधीन है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा 1989 में दिए गए खनिजों से संबंधित फैसले को भी खारिज कर दिया:–

-
- सीजेआई ने अपने निर्णय में कहा की 1989 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें रॉयल्टी को कर के रूप में वर्गीकृत किया गया था गलत था।
- आठ जजों की विपरीत न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने इस मामले में असहमति जताई है।
- न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना कहा कि "केंद्र के पास देश में खनिज अधिकारों पर कर लगाने का विशेष अधिकार है और राज्यों को खनिकों की तरफ से भुगतान की गई रॉयल्टी पर अतिरिक्त लेवी लगाने का समान अधिकार देने से एक विषम स्थिति पैदा होगी"।
- सुप्रीम कोर्ट में इसी संदर्भ में 86 याचिकाएं लगाई गई थी।
- इन्हे अलग-अलग राज्य सरकारों और खनन कंपनियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया था।
- इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय लेना है की क्या खनिजों पर रॉयल्टी और खदानों पर टैक्स लगाने के अधिकार राज्य सरकार को होने चाहिए या नहीं।

Result Mitra

Topic - 2

एंजेल टैक्स

- चर्चा में क्यों :– हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में Angel Tax को खत्म करने की बात की गई है।
- क्या होता है Angel Tax :–
- एंजेल टैक्स 30.6% की दर से लगाया जाने वाला एक आयकर है सरकार ने साल 2012 में एंजल टैक्स को लागू किया था।
- जब कोई असूचीबद्ध कंपनी उचित बाज़ार मूल्य से अधिक कीमत पर किसी निवेशक को शेयर जारी करती है इनके ऊपर लगने वाले टैक्स को एंजल टैक्स कहा जाता है।
- उचित बाज़ार मूल्य (Fair Market Value- FMV) परिसंपत्ति का वह मूल्य है, जब क्रेता और विक्रेता को इसके संबंध में जानकारी होती है तथा वे बिना दबाव के व्यापार करने के लिये तैयार हो जाते हैं।
- आसान भाषा में :– जब हम किसी स्टार्टअप्स को शुरू करते है तो उसके लिए फंड की जरूरत होती है।
- फंड की जरूरत को पूरा करने के लिए कई बार स्टार्टअप्स एंजल निवेशकों से फंडिंग जुटाते हैं।
- इन्हीं एंजल निवेशकों से ली गई फंडिंग पर उन्हें टैक्स देना पड़ता है, इस टैक्स को ही एंजल टैक्स कहा जाता हैं।
- पहले एंजेल टैक्स को केवल देश के निवेशकों से लिए गए निवेश पर लागू किया गया था।
- किंतु वित्त अधिनियम, 2023 के द्वारा विदेशी निवेशकों को भी इसमें शामिल किया गया था।
- अब जब भी कोई स्टार्ट-अप किसी विदेशी निवेशक से भी धन जुटाती है, तो इस धन को भी आय के रूप में माना जाएगा तथा इस पर भी टैक्स लागू होगा।

एन्जेल निवेशक कौन हैं :–

- एन्जेल निवेशक उन्हें कहा जाता है जो उच्च निवल संपत्ति वाले व्यक्ति होते हैं तथा ये एन्जेल निवेशक अपनी व्यक्तिगत आय को किसी स्टार्ट-अप या लघु एवं मध्यम स्तर की कंपनियों में निवेश करते हैं।

- नोट :– यहां यह भी जानना जरूरी है की मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स को एंजेल टैक्स लेवी से बाहर रखा गया है यह प्रावधान उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा किया गया है।

Topic - 3

विवाद से विश्वास स्कीम 2024 लॉन्च

- हाल ही में बजट 2024 के अंतर्गत विवाद से विश्वास स्कीम को फिर से शुरू किया गया है
- इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार के विवादों को खत्म करना है जो इनकम टैक्स से जुड़े है।
- यह स्कीम 4 वर्ष पहले भी चालू की गई थी।
- वित्त मंत्री के अनुसार विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर व सर्विस टैक्स संबंधित विवाद का निपटान किया जाएगा।

विवाद से विश्वास स्कीम के तहत :–

- एक टैक्स ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा जो 60 लाख रुपये तक के विवाद को सुनेगा।
- जबकि दो करोड़ तक के विवाद हाईकोर्ट के द्वारा और पांच करोड़ तक या इससे अधिक के विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे।

Topic - 4

बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) सिस्टम

Result Mitra

- चर्चा में क्यों :– हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) सिस्टम के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) किया किया गया है
- यह बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन देश द्वारा भेजे गए मिसाइल को रोकने के लिए इंटरसेप्टर लॉन्च करेगा। और यह इंटरसेप्टर इतना एडवांस है की आने वाली मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देगा।
- इस सिस्टम का परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है
- इस परीक्षण में इस डिफेंस सिस्टम के दूसरे चरण में AD एंडो-एटमॉस्फेरिक मिसाइल का परीक्षण किया गया जी सफल साबित हुआ।

- इस एंडो-एटमॉस्फेरिक मिसाइल परीक्षण के बाद भारत दुश्मन देश की 5,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को देश की सीमा में आने से पहले ही रोक देगी।
- यह पूर्णतः स्वदेशी क्षमता से लैस है।

कैसे किया गया परीक्षण

- एक मिसाइल को डमी रूप दे कर दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर प्रक्षेपित किया गया था।
- इस मिसाइल को रोकने के लिए भूमि व समुद्र पर रडारों को तैनात किया गया जो हथियार प्रणाली के साथ जुड़े रहते है और आने वाली मिसाइल का पता लगाते है
- रडार द्वारा इस मिसाइल का पता लगाने के बाद इसे नष्ट करने के लिए एयर डिफेंस (AD) 'इंटरसेप्टर' प्रणाली को सक्रिय किया गया।
- जिसके बाद मिसाइल को लांच करके टारगेट को खत्म किया गया।

बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) सिस्टम के अंतर्गत दो चरणों होते है :–

- पहला चरण :– इसके द्वारा 2,000 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को रोका जा सकता है।
- इस प्रणाली पहले से कार्यरत है।
- इस प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं:
- पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम (PAD): यह एक्सो- एटमॉस्फेरिक मिसाइल। इसके द्वारा 50-80 किलोमीटर रेंज से अधिक वाली मिसाइल को रोका जा सकता है।
- एक्सो-एटमॉस्फेरिक मिसाइल :– ये एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाकर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को विफल करने में सक्षम होती हैं।
- एडवांस्ड एरिया डिफेंस (AAD) मिसाइल: यह मिसाइल सिस्टम 15-30 किलोमीटर रेंज वाली एंडो- एटमॉस्फेरिक मिसाइल प्रणाली के अंतर्गत आती है।
- ऐडो-एटमॉस्फेरिक मिसाइल :– यह मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर ही रहकर आने वाली मिसाइल को खत्म करती हैं।

बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) सिस्टम का दूसरा चरण:

- इसके अंतर्गत AD-1 और AD-2 नामक दो मिसाइलें शामिल की गई हैं।
- जो अभी आरंभिक अवस्था में है।

Result Mitra TM

Topic - 4

विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजना

- चर्चा में क्यों :– हाल ही में प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट में विष्णुपद और महाबोधि मंदिरों के लिए नवीन कॉरिडोर परियोजनाओं की घोषणा की गई है।
- जिस प्रकार से विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया गया है उसी प्रकार इन मंदिर कोरिडोर का निर्माण भी किया जाएगा।
- विष्णुपद और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजना का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को आकर्षित करना होगा।

महाबोधि मंदिर

- यह मंदिर बिहार के बोधगया जिले में स्थित है।
- बौद्ध मत के अनुसार इसी बोधि (पीपल) वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति (निर्वाण) हुई थी। यह us पीढ़ी का पांचवा वृक्ष है।

- यहां पर सम्राट अशोक ने यहां पर मंदिर बनवाया जिसका निर्माण काल तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है।
- इस मंदिर के निर्माण नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनो का प्रयोग हुआ है।
- मंदिर का मुख्य भाग जहां नागर शैली का है तो बही इसका शिखर द्रविड़ शैली के विमान की तरह है।
- इस मंदिर की वेदिका (रेलिंग) मौर्योत्तर काल (100 ईसा पूर्व) की है
- यहां से कई ऐसी मूर्तियां प्राप्त होती है जो पाल शासन काल की हैं।
- यह ईटों से निर्मित शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है।
- 2002 में मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया।

विष्णुपद मंदिर

- यह मंदिर बिहार राज्य के के गया जिले में फल्गु नदी के तट पर स्थित है।
- यह काफी प्राचीन मंदिर है।
- इसका जीर्णोद्धार इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 18वीं शताब्दी में करवाया गया था।
- यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है।

मंदिर का महत्त्वः

- यह मंदिर 40 सेंमी लंबे पदचिह्न के लिए प्रसिद्ध है जिसे विष्णुपद कहा जाता है इस चिन्ह के कारण ही इस मंदिर का यह नाम पड़ा।
- इस चिन्ह को ले कर मान्यता है कि गयासुर नामक राक्षस पर एक शिला रखकर भगवान विष्णु ने उसे अपने पैरों से दबाया था। यह चिन्ह इस शिला पर ही छप गया जिस कारण इस मंदिर का नाम विष्णुपद पड़ा।

Result Mitra